संख्या- 217 /2026/ 3001 /चार-2026-1850173

प्रेषक

अमृत अभिजात,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2026**

विषय दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि मंदिरों में भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम/रामायण पाठ/भजन आदि कार्यक्रमों के आयोजनों के सम्बन्ध में।

महोदय,

आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध कालजयी कृति रामायण महाकाव्य सामाजिक मूल्यों, मानव मूल्यों एवं राष्ट्र मूल्यों की स्थापना का आदर्श है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा अपने ग्रंथ में वर्णित स्थल जिन्हें राम-जानकी मार्ग,राम वन गमन मार्ग आदि के रूप में जाना जाता है। ऐसे लगभग 280 स्थल आज भी सम्पूर्ण भारत में विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश में राम-जानकी मार्ग,राम वन गमन मार्ग के अन्तर्गत अनेक स्थल विद्यमान हैं,जहां पर भारतीय संस्कृति के मूल तत्व एवं मान्यताएं आज भी सुरक्षित हैं। ऐसे महान महर्षि वाल्मीकि जी की जयन्ती को सम्पूर्ण प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों व राष्ट्रीय मूल्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार व जन सामान्य को इससे जोड़ने के उद्देश्य से दिनांक 26 अक्टूबर, 2026 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती प्रदेश के समस्त जनपदों में भव्य रूप से निम्नानुसार मनाये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) दिनांक 26 अक्टूबर, 2026 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती को विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के समस्त जनपदों में भव्य रूप से मनाया जाना प्रस्तावित है। इसका मुख्य उद्देश्य वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों व राष्ट्रीय मूल्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार व जन सामान्य को इससे जोड़ना है।

(2) इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि से सम्बन्धित स्थलों/मंदिरों आदि पर दीप-प्रज्ज्वलन/दीपदान के साथ-साथ अनवरत् 8, 12 अथवा 24 घंटे का वाल्मीकि रामायण का पाठ किये जाने के कार्यक्रम निर्धारित किये जायें। प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय समितियों का गठन करते हुए कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाये।

(3) प्रत्येक आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, सुरक्षा, ध्वनि, प्रकाश एवं दरी बिछावन आदि की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा ससमय सुनिश्चित की जाये। सभी आयोजन स्थलों पर आयोजन हेतु सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) महर्षि वाल्मीकि जी की तपोस्थली लालापुर,चित्रकूट में जिला प्रशासन द्वारा वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।

(5) अनवरत वाल्मीकि रामायण के पाठ हेतु वाल्मीकि रामायण की उपलब्धता पूर्व में सुनिश्चित कर ली जाये तथा गायक कलाकारों तथा भजन मण्डलियों का चयन कर उन्हें पूर्व से ही अवगत कराया जाये।

(6) इसके अन्तर्गत श्री राम व श्री हनुमान तथा रामायण से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों/मंदिरों का चयन करते हुए वहां पर भी भक्तिमय सांस्कृतिक आयोजन के साथ-साथ रामायण पाठ/भजन आदि के कार्यक्रम कराये जायें। इन आयोजनों की समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नवत् सूचनायें संस्कृति विभाग के पोर्टल- https://forms.gle/LxB7bvGFxzbaF8rF7 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अ) जिले के श्री राम मंदिर/श्री हनुमान मंदिर अथवा रामायण से सम्बन्धित अन्य किसी मंदिर का पता, फोटो, जी0पी0एस0 लोकेशन, मंदिर प्रबन्धक का सम्पर्क सूत्र उपलब्ध कराया जाये।

(ब) कार्यक्रम हेतु चयनित मंदिरों/स्थलों का विवरण मंदिर का नाम तथा पता सहित उपलब्ध कराया जाये।

(स) चयनित मंदिरों/स्थलों पर कलाकारों/भजन गायकों के नाम पते एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी पोर्टल के माध्यम से दी जाये।

(द) आयोजन की पूर्व संध्या दिनांक 26 अक्टूबर, 2026 को तैयारियों से सम्बन्धित 02 से 05 फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल पर अपलोड की जाये।

(य) कार्यक्रम के आयोजन की तिथि 26 अक्टूबर, 2026 को उद्घाटन सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम की कम से कम 10 फोटोग्राफ्स आयोजन स्थल का नाम/पता तथा जिले का नाम एवं संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 100 शब्दों सहित) पोर्टल पर अपडेट किया जाये।

(7) समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चयनित मंदिरों/स्थलों पर कलाकारों का चयन अपनी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा करेंगे जिसका समन्वय संस्कृति विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा। जिले में तैनात पर्यटन/सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाये। समस्त कार्यक्रम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की गरिमा के अनुरूप आयोजित कराये जाये तथा कार्यक्रमों में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करते हुए व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

(8) उपरोक्त आयोजन प्रदेश स्तरीय आयोजन है। अतः सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से आयोजन के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर सुनिश्चित करते हुए जनमानस को जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(9) प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी जनपद स्तरीय विभिन्न विभागों के समन्वय के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर उक्त कार्यक्रम को भव्यता के साथ सम्पन्न करायेंगे। प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी उक्त आयोजन हेतु अपने जनपद में एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जिनका मोबाइल नम्बर तथा ईमेल आई0डी0 संस्कृति विभाग को पोर्टल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(10) प्रदेश में कार्यक्रमों के आयोजन के कलाकारों के मानदेय का भुगतान हेतु प्रति जनपद रू0 1.00 लाख की दर से कुल धनराशि रू0 75.00 लाख की धनराशि जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

को उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य सारी व्यवस्थायें जिला प्रशासन द्वारा सी0एस0आर0 के माध्यम से की जायेंगी।

(11) प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी जनपद स्तरीय विभिन्न विभागों के समन्वय से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर उक्त कार्यक्रम को भव्यता के साथ सम्पन्न करायेंगे। प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी उक्त आयोजन हेतु अपने जनपद में एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जिनका मोबाइल नम्बर तथा ईमेल आई0डी0 संस्कृति विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 26 अक्टूबर, 2026 को प्रदेश के समस्त जनपदों में महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के भव्य आयोजन में कलाकारों के मानदेय मद हेतु प्रति जनपद रू0 1.00 लाख की दर से कुल **रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख) मात्र** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही सम्बन्धित स्तर से कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) संस्कृति निदेशालय द्वारा धनराशि आहरित कर जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, उ0प्र0 को उपलब्ध कराई जाएगी।

(12) उपलब्ध कराई गई धनराशि का व्यय विवरण शासन को दो माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अमृत अभिजात
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 217 /2026/ 3001 (1)/ चार-2026-1850173,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. समस्त अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, उ0प्र0।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
12. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उ0प्र0 शासन।
13. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दीपा रंजन
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।